न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 16/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/166

1. परविन्द्र कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राज.

— प्रार्थी

बनाम

1. रामनाथ पुत्र धर्माराम जाति बावरी निवासी 11 जोईयावाली (23 एसडी) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री प्रेम सिंह सैनी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 20.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 15 जीबी मु.नं. 14 प.नं. 153/394 कि.नं. 12,13,18,19,22/1,23/1 की कुल 1.468है. नहरी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 15 जीबी मु.नं. 14 प.नं. 153/394 कि.नं. 24/2–25/2 गै.मु. भट्टा की भूमि में से खाला के साथ साथ 2–2 बिस्वा भूमि गै.मु. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 12.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ओर से अप्रार्थी सं. 1 रामनाथ शपथ पत्र बाबत सहमति का प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी द्वारा शपथ पत्र में अपनी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत सहमति दी गई है।
3. तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/रीडर/2024/870 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की परम आवश्यक्ता है। कि.नं. 24/1 व 25/1 में खाला के रकबा को छोड़ते हुए रास्ता दिया जाना उचित होगा। भूमि रिकार्ड में भट्टा दर्ज है वर्तमान में भट्टा बन्द है। रास्ता स्वीकार करने पर किसी संरचना को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
4. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में पंहुचने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अप्रार्थी द्वारा रास्ता स्वीकृत करने के सबंध में सहमति का शपथ पत्र दिया गया है तथा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी अप्रार्थी को रास्ता में आई भूमि की [illegible] में नियमानुसार प्रतिकर/शुल्क देने के लिए तैयार है, रास्ता स्वीकार करने हेतु [illegible] किया।
5. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि में से होकर रास्ता चाहा गया है, अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का शपथ पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति का पेश किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार/भू.अ.नि. अनुसार रास्ता की परम आवश्यक्ता है एवं

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रास्ता स्वीकार किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी की भूमि चक 15 जीबी मु.नं. 14 प.नं. 153/394 कि.नं. 24/2—25/2 में से खाला(कि.नं. 24/1—25/1) के साथ साथ 2—2 बिस्वा भूमि गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थी सं. 1 को डीएलसी की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थी को जमाशुदा प्रतिकर राशि का भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner